संख्या-12/2016/768/63-व0उ0-2016-40(एच)/2016

प्रेषक,

कुमार कमलेश,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग,
उ0प्र0 कानपुर।

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग अनुभाग — लखनऊ : दिनांक 10 जून, 2016

विषय:- **हथकरघा बुनकरों को विद्युत दर में छूट की प्रतिपूर्ति योजना के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-1022/हक0-सह0अनु0/2015-16, दिनांक 09-03-2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हथकरघा बुनकरों को विद्युत दर में छूट की प्रतिपूर्ति योजना की गाइडलाइन्स एतदद्वारा निम्नवत प्रख्यापित की जाती है :-

1.2-योजना का लाभ लेने हेतु लाभार्थी की पात्रता।		लाभार्थी हथकरघा बुनकर की आयु 18 से कम न हो और वह हथकरघा बुनकरी के व्यवसाय में लगा हो। हथकरघा बुनकर के पास भारत सरकार/हथकरघा विभाग के सक्षम प्राधिकारी/सहायक आयुक्त हथकरघा द्वारा जारी हथकरघा बुनकर प्रमाण पत्र होना चाहिए। हथकरघा बुनकर का सम्बन्धित क्षेत्र जहाँ वह पंजीकृत हो, विद्युत विभाग में स्वयं के नाम से 02 किलोवाट तक विद्युत भार का विद्युत कनेक्शन होना चाहिए। हथकरघा बुनकर पर शासनादेश सं0-1969/24-पी-3-2006, दिनांक 14.06.2006 (संशोधित यदि कोई जारी किया जाय) में दिये गये निर्देश भी लागू होंगे। ऐसे हथकरघा बुनकर जिनके नाम स्वयं का विद्युत कनेक्शन नहीं है अर्थात् उनके पिता/माता के नाम विद्युत कनेक्शन है और वे मर चुके हैं अथवा कोई अन्य कार्य करते हैं, तो ऐसे हथकरघा बुनकर से परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त इस आशय का एक शपथ-पत्र लेंगे कि योजना का लाभ लेने वाला हथकरघा बुनकर एक माह के भीतर उस विद्युत कनेक्शन को अपने नाम अनिवार्यत: हस्तान्तरित करा लेगा, भी पात्र होंगे। यदि ऐसे हथकरघा बुनकर उल्लिखित समय सीमा में अपने नाम से विद्युत कनेक्शन को अपने नाम हस्तानान्तरित नहीं करा पायेंगे, तो उनको उक्त योजना की पात्रता में नहीं रखा जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

1.3- जिलावार/परिक्षेत्रवार हथकरघा बुनकरों के चयन की प्रक्रिया।		हथकरघा पर प्रि-लूम/पोसट-लूम क्रियाओं पर हथकरघा बुनकर द्वारा की जाने वाली विद्युत खपत को अवैधानिक न माना जाय। सामान्यत: घरेलू प्रयोग में हथकरघा बुनकर परिवार का प्रत्येक माह औसतन रू0 350/- विद्युत बिल आता है। हथकरघा की अन्य प्रि-लूम/पोस्ट-लूम क्रियाओं के उपरान्त प्रत्येक माह औसतन रू0 400/- विद्युत बिल आने का अनुमान है। पावरलूम बुनकरों की भाँति हथकरघा बुनकरों से भी फिक्स रेट रू0 72/- प्रतिमाह/हथकरघा बुनकर लिया जाया। इस प्रकार प्रत्येक हथकरघा बुनकर कनेक्शन पर प्रतिमाह विद्युत बिल पर सब्सिडी हेतु रू0 328/- एवं वार्षिक रू0 3936/- का व्यय भार अनुमानित है। जिस परिक्षेत्र/जिले में हथकरघा बुनकर व्यवसाय चला रहा हो, वहाँ हथकरघा बुनकर व्यवसाय में लगे बुनकर जो हथकरघा बुनकर होने की निर्धारित पात्रता को पूर्ण करते हैं, को उक्त योजना का लाभ लेने हेतु सम्बन्धित जिले/परिक्षेत्र के सहायक आयुक्त हथकरघा के कार्यालय में घोषणा पत्र देना होगा (घोषणा पत्र शासनादेश सं0-19691969/24-पी-3-2006, दिनांक 14.06.2006 के संलग्नक के अनुसार होना चाहिए) देना होगा। सम्बन्धित परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त हथकरघा एवं विद्युत विभाग के अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता ऐसे सभी हथकरघा बुनकरों का निर्धारित अर्हता के आधार पर सत्यापन कर चयन करेंगे। इस प्रकार जिन चयनित हथकरघा बुनकरों को विद्युत बिल में छूट प्रदान की जानी प्रस्तावित हो, उस पर परिक्षेत्र/जिले के परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त हथकरघा एवं विद्युत विभाग के अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता द्वारा जनपदवार/ब्लाकवार/गाँववार/मोहल्लावार सत्यापित सूची, जिसमें हथकरघा बुनकर का विवरण संलग्न प्रारूप पर विद्युत कनेक्शन संख्या एवं विद्युत भार सहित स्पष्ट रूप से अंकित किया जायेगा, प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ एवं हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय, उ0प्र0, कानपुर को संस्तुत सहित प्रेषित करेंगे। इस प्रकार चयनित हथकरघा बुनकरों को उनके विद्युत बिल में उस वित्तीय वर्ष हेतु रू0 3936/- वार्षिक की छूट प्रदान करायी जायेगी। इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु बजट व्यवस्था में उपलब्ध कुल धनराशि से अधिक लाभार्थी हथकरघा बुनकरों द्वारा दावा की गयी धनराशि होगी, तो लाभार्थी हथकरघा बुनकरों को निम्नानुसार प्राथमिकता दी जायेगी :- 1- हथकरघा बुनकर के नाम स्वयं का विद्युत कनेक्शन हो। 2- हथकरघा बुनकर गरीबी रेखा के नीचे हो। 3- महिला हथकरघा बुनकर हो। 4- हथकरघा बुनकर के पास चालू हालत में हथकरघा हो।
1.4- योजना हेतु बजट/धनराशि की मांग।		परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त हथकरघा के प्रस्ताव को संकलित कर सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में हथकरघा बुनकरों को विद्युत दर में छूट की प्रतिपूर्ति दिये जाने के लिये आंगणित धनराशि की मांग शासन से की जायेगी।
1.5- व्यय की प्रक्रिया।		बजट प्राविधानों के अन्तर्गत सम्बन्धित वित्तीय वर्ष उपलब्ध बजट व्यवस्था के अनुसार शासन से वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त चयनित हथकरघा बुनकरों के विद्युत प्रतिपूर्ति की धनराशि व्यय हेतु प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेगी। प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ द्वारा उक्त धनराशि लाभार्थी हथकरघा बुनकरों के विद्युत कनेक्शन सं0/विद्युत खाता सं0 के सापेक्ष समायोजित करने की कार्यवाही सम्पन्न करायी जायेगी।
1.6- सदुपयोगिता प्रमाण-पत्र का प्रेषण।		उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय, उ0प्र0, कानपुर से प्राप्त धनराशि के अनुसार हथकरघा बुनकरों के विद्युत बिलों पर छूट प्रदान

http://shasanadesh.up.nic.in

		कर सूची सहित सदुपयोगिता प्रमाण-पत्र हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय, उ0प्र0, कानपुर को उपलब्ध करायेंगे। हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय, उ0प्र0, कानपुर द्वारा परिक्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से उक्त सदुपयोगिता प्रमाण-पत्रों का सत्यापन कराने के उपरान्त समस्त सदुपयोगिता प्रमाण-पत्रों को संकलित कर उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

भवदीय,

(कुमार कमलेश)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 768(1)/63-व0उ0-2016, तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को गोपन अनुभाग-1 के अशासकीय संख्या-4/2/7/2016-सी0एक्स(1), दिनांक 31 मई, 2016 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- मुख्य सचिव/सह अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
2- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
3- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ।
6- प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल/मध्यांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/लखनऊ।
7- मुख्य अभियन्ता, नियन्त्रण एवं अनुश्रवण इकाई (वित्तीय), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, चतुर्थ तल, शक्ति भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ।
8- विशेष सचिव, ऊर्जा अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
9- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-6, उ0प्र0 शासन।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरिशंकर भट्ट)
उप सचिव।

संख्या- 768(2)/63-व0उ0-2016, तद्दिनांक-

प्रतिलिपि सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनउ को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि कृपया इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार समस्त समाचार-पत्रों में एवं अन्य प्रचार माध्यमों से करवाने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त।

आज्ञा से,

(हरिशंकर भट्ट)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in